

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 3347] No. 3347] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 2018/भाद्र 02, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 2018/BHADRA 02, 1940

# वित्त मंत्रालय

# (आर्थिक कार्यविभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

का. आ. 4152(अ).— केंद्रीय सरकार, भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (іі) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 1729(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2018 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 36 के अधीन स्थापित प्रवर्तन निदेशालय में ऐसे अधिकारियों को, जो सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे के न हों, उक्त अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने और ऐसे अभिलेख या संपत्ति, जो उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हों, को अभिगृहीत करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है

[फा. सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल)

4994 GI/2018 (1)

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Economic Affairs)

#### **ORDER**

New Delhi, the 24th August, 2018

**S.O. 4152(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 1729(E), dated the 24<sup>th</sup> April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24<sup>th</sup> April, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby authorises officers not below the rank of Assistant Directors in the Directorate of Enforcement established under section 36 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), to exercise the power to search any person and to seize such record or property which may be useful for or relevant to proceedings under the said Act.

[F.No. 6/3/2017-FSLRC]

DR. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)

## आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

का. आ. 4153(अ).—केंद्रीय सरकार, भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 1730(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2018 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 36 के अधीन स्थापित प्रवर्तन निदेशालय के विशेष प्रवर्तन निदेशकों को उक्त अधिनियम के अधीन प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करती है।

[फा.सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल)

#### **ORDER**

New Delhi, the 24th August, 2018

**S.O. 4153(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 1730 (E), dated the 24<sup>th</sup> April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24<sup>th</sup> April, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the Special Directors of Enforcement of the Directorate of Enforcement established under section 36 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), to perform the functions of an Administrator under the said Act.

[F. No. 6/3/2017-FSLRC]

DR. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)